



प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-19-02-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 लेखा शीर्षक 4210-03-105-03 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में हो रही बचत के सापेक्ष अतिरिक्त उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पी०जी०आई०/एम०एम०/बजट/2025-26/444, दिनांक 28.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु अनुमोदित उपकरणों की सूची एवं उनके क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत ₹ 400.00 लाख के सापेक्ष उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 लेखा शीर्षक 4210-03-105-03 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में धनराशि ₹ 400.00 लाख की हो रही बचत एवं उसके सापेक्ष संस्थान के विभिन्न विभागों हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची का विवरण निम्नवत् है:-

अवशेष बचत के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची						
Sl. No	Department	Name of Equipment	Qty	Unit Cost	Total Cost	Justification
				(Rs. in Lakh)	(Rs. in Lakh)	
1	Gastroenterology	Endoscopes Re-Processing and disinfection unit with ultrasonic cleaning compatible with existing olympus make Video processor Unit	1	33.00	33.00	Completed shelf life
2		Upper Gastrointestinal Videoscope (Adult) with HDTV compatible CCD with focus observation capacity compatible with existing olympus make Video processor Unit	1	18.00	18.00	Completed shelf life

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3		Upper Gastrointestinal Videoscope (Adult) (GIF-Ez1500)-with HDTV compatible CMCS with full focus & high magnification technology compatible with existing olympus make Video processor Unit	2	28.00	56.00	Completed shelf life
4		Lower Gastrointestinal Videocolonoscope (Adult) CI-EZ1500DL with built in HDTV compatible CMOS with full focus and high magnification observation capacity & EDOF technology compatible with existing olympus make Video processor Unit	1	30.00	30.00	Completed shelf life
5		Upper Gastrointestinal Videoscope (Adult) with dual focus setting and near focus NBI compatible with existing olympus make Video processor Unit	1	28.00	28.00	Completed shelf life
6		Lower Gastrointestinal Videocolonoscope (Adult) (CF H190) compatible with existing olympus make Video processor Unit	2	22.00	44.00	Completed shelf life
7	Microbiology	Thermomixer C with plate and tube rotor	1	4.50	4.50	Ancillary Equipment for Establishment of Next Generation Sequencing Platform in New BSL3 TB Laboratory
8		Server and workstation for data analysis (with 8-16 GB RAM)	1	1.00	1.00	
9		Automated Analyzer for Quality Control of DNA and RNA samples (Bioanalyzer)	1	31.50	31.50	
10	Urology	C-Arm Machine for renal access	1	25.00	25.00	Existing machine completed its shelf life and become non-functional. hence new machine is required immediately
11	Other Capital Item					
	1	Teaching and Training aids classroom /office furniture for College of Medical Technology, Nursing College & Other departments			75.52	Urgently required for College of Medical Technology & Nursing College and other newly created departments, wards etc.
	2	Furniture for newly established Pain Clinic & Pediatric Endocrinology department			35.48	Urgently required for newly established Pain Clinic & Pediatric Endocrinology department
	3	Water Cooler	12	1.25	15.00	Urgently required for various locations including departments, hostel etc.
	4	Water Purifier	6	0.50	3.00	
		Total			400.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं निदेशक, संस्थान की होगी।
 2. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।
 3. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
 4. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकांश उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर हो और उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण हैं।
- 3- उक्त उपकरणों के क्रय पर होने वाला व्यय शासनादेश संख्या-66/2025/1 /1023728/2025/001-71-2099-1226-2020, लखनऊ: दिनांक-14-07-2025 द्वारा अवमुक्त धनराशि के हो रही बचत के सापेक्ष किया जायेगा। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या-28/2026/1/1244434/2026/001-71-2099-284-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।